



पत्रांक : /पविविनिलि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2015-16

दिनांक :

कार्यालय

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1137-अ०प्र०-०७/पाकालि/15-16-अ०प्र०-०७/14 दिनांक 19.05.2015 के द्वारा 8.33% कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-०५ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि/ट्रेड /गृह जनपद/श्रेणी/वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	अवर अभि० पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	अभि० संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान/आवंटित क्षेत्र
1	2	3	4	5
1	बागीश कुमार/राजेन्द्र प्रसाद महतो/31.12.1976/इलेक्ट्रिकल/लखीसराय (बिहार)/सामान्य/9272	वि० कार्य मण्डल, वाराणसी	2015084	सहायक अभियन्ता, नि० एवं कार्य०, गा०बाद अन्तर्गत विद्युत नि० एवं कार्य० खण्ड, गा०बाद। (रिक्त पद पर)
2	रमेश प्रसाद सिंह/रामधनी प्रसाद सिंह/01.07.1982/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स/मिर्जापुर/पिछड़ी जाति/9433	वि० रचना इकाई, इलाहाबाद	2015131	सहायक अभियन्ता, नि० एवं कार्य०, मु०बाद अन्तर्गत विद्युत नि० एवं कार्य० खण्ड, मुरादाबाद। (रिक्त पद पर)
3	राजीव कुमार श्रीवास्तव/रमेश चन्द्र श्रीवास्तव/09.05.1979/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/मऊ/सामान्य/9480	वि० कार्य मण्डल, आजमगढ़	2015142	सहायक अभियन्ता, नि० एवं कार्य०, मु०नगर अन्तर्गत विद्युत नि० एवं कार्य० खण्ड, सहारनपुर। (रिक्त पद पर)

- उपरोक्त सहायक अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-०१-२८- एआर/८९ दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- "यह प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय/इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 - उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उनके नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
 - समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रतर कार्यवाही कर दी जायेगी।

